राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2121/2024

ललिता यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. संयुक्त सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, शाहपुरा, जिला शाहपुरा।
3. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
4. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
5. तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा, जिला शाहपुरा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.06.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री कोमल गिरी, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.05.2022 (अनुलग्नक—2) के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर तहसील कार्यालय, शाहपुरा में हुई थी, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 13.05.2022 (अनुलग्नक—3) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा से कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर में किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश में शर्त संख्या 3 निम्न प्रकार है :—

   '' उपरोक्त कार्मिकों मे से यदि कोई कार्मिक निलम्बित/परीवीक्षाकाल में हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं उक्त आदेश निरस्त समझा जावे।''

   उक्त शर्त के कारण अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया, क्योंकि अपीलार्थी परीवीक्षाकाल में था। वर्तमान में अपीलार्थी का दो वर्ष का

परीवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है एवं प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 11.05.2024 से वेतन नियमितिकरण/स्थायीकरण किया जा चुका है। ऐसे में अब उक्त शर्त अपीलार्थी पर लागू नहीं होती है। अपीलार्थी को कार्यमुक्त केवल इस आधार पर नहीं किया गया था कि अपीलार्थी परीवीक्षाकाल में है। वर्तमान में अपीलार्थी का परीवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है, ऐसे में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में पारित स्थानान्तरण आदेश की पालना में कोई बाधा नहीं रही है।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 26.06.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नवीन पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में निवेदन किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय अधिकरण में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1940/2024 सुमन करोडिया बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.06.2024 (अनुलग्नक–7) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2022 की अनुपालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त करते हुए न्यायहित में अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा/शाहपुरा से कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया जावें।

3.

4.

5.

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

7. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है इस प्रकार स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य